न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 58/2014

निर्णय दिनांक : 12.09.2023

श्रीचन्द वगै0 बनाम रामवतार वगै0

1. श्रीचन्द पुत्र रामदेवा जाति मेघवाल निवासी भड़ौंदा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. श्रीमती भगवानी देवी पुत्री विशालाराम स्त्री टीकूराम जाति मेघवाल निवासी भड़ौंदा खुर्द।

———— वादीगण

बनाम

1. रामवतार
2. विद्याधर
3. रामनिवास
4. रामजीलाल

   समस्त पुत्रगण श्योपाल जाति मेघवाल निवासी भड़ौंदा खुर्द तहसील झुंझुनूं

5. हवासिंह
6. प्रहलाद
7. छिनो
8. बाबुलाल

   समस्त पुत्रगण रामकुमार जाति मेघवाल निवासी भड़ौंदा खुर्द तहसील झुंझुनूं

9. चिड़िया
10. मणी

    पुत्रीयां कालूराम जाति मेघवाल निवासी भड़ौंदा खुर्द तहसील झुंझुनूं

11. कबिल
12. सत्यवान

    पुत्रगण स्व. बनारसी एवं हरनन्द जाति मेघवाल निवासी किरावड़ तहसील तोसाम जिला महेन्द्रगढ

13. बुद्धराम
14. सतबीर
15. राजू

    समस्त पुत्रगण स्व. फुली एवं महावीर मेघवाल निवासी किरावड़ तहसील तोसाम जिला महेन्द्रगढ

16. जितेन्द्र
17. गायत्री

    पुत्र व पुत्री स्व. महेन्द्र जाति हरिजन निवासी भड़ौंदा खुर्द

18. उप पंजीयक झुंझुनूं
19. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू।
20. शेखावाटी ग्रामिण बैंक इस्लामपुर जरिये शाख प्रबंधक

———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम भड़ौंदा खुर्द पटवार हल्का भड़ौंदा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में जमीन हाल ख.नं. 40 रकबा

उपखण्ड अधिकारी

23 हैक्टर, खसरा नं. 41 रकबा 0.63 है0, खसरा नं. 42 रकबा 0.63 है0, खसरा नं. 43 रकबा 1.24 है0, खसरा नं 275 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 276 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 277 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 283 रकबा 0.32 है0, खसरा नं. 284 रकबा 0.37 है0, खसरा नं. 285 रकबा 0.02 गै0 मु0 रास्ता, खसरा नं. 930 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 931 रकबा 0.67 है0, खसरा नं. 932 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 933 रकबा है0, खसरा नं. 1234 रकबा 1.35 है0, खसरा नं. 1277 रकबा 2.10 है0 खसरा नं. 1278 रकबा 0.53 है0 खसरा नं. 1311 रकबा 1.14 है0, खसरा नं. 1312 रकबा 0.63 है0, खसरा नं. 1313 रका 0.62 है0, खसरा नं. 1314 रकबा 0.52 है0, खसरा नं. 1314/1627 रकबा 0.10 है0 गै0 मु0 सड़क तथा खसरा नं. 1315 रकबा 0.63 है0 किता 23 का कुल रकबा 13.59 है0 तथा इसी राजस्व ग्राम की सरहद में दूसरे खाते में खसरा नं. 278 रकबा 0.75 है0, खसरा नं. 279 रकबा 0.80 है0, खसरा नं. 280 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 281 रकबा 0.05 तथा खसरा नं. 282 रकबा 0.47 है0 किता 5 का कुल रकबा 2.53 है0 अवस्थित है जिसके पहले खातेदार सेवाराम उर्फ सेवला हिस्सा 1/4, मुनाराम उर्फ मोहनिया हिस्सा 1/4, कालुराम उर्फ कालिया हिस्सा 1/4, सुरजी बेवा नन्दा हिस्सा 1/4 थे। ये वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 17 के पूर्वज होने के नाते विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 की पैतृक भूमि है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को रिकॉर्ड दुरूस्ती व विभाजन हेतु कहा तब प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि पर उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करने की धमकी देने लगे। तब वादीगण ने वाद दायर किया।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 08.04.2022 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा अपने पत्र क्रमांकः भू0अ0/2023/1713 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिसल किये गये। वकील वादी के निवेदन पर आज बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पूनिया ने निवेदन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाये। अधिवक्ता वादी ने पत्रावली में संलग्न शपथ पत्र व जबाब में पेश की गई प्रतिवादीगण के ईकबालिया जबाब का भी हवाला दिया। अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार किया गया है। बहस वकील वादीगण पर बगौर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि वाद पत्र की धारा 19 (क), 19 (ख) व 19 (ग) के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादपत्र में वर्णित भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांकः भू0अ0/2023/1713 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदायी (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर.ए.एस.

उनवान :– रामेश्वर बनाम लादू वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ

मुकदमा नं. :– 112/2016

निर्णय दिनांक : 12.09.2023

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पूनिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12.09.2023 को श्रीमती कविता गोदारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वाद पत्र की धारा 19 (क), 19 (ख) व 19 (ग) के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादपत्र में वर्णित भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांकः भू0अ0/2023/1713 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया गया। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	11
स्टाम्प वकालतनामा	26	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	30	योग	11

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू